सत्यमेव जयते

पंचायत निर्वाचन

अभ्यर्थियों, सरकारी विभागों और सरकारी
कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु
आदर्श आचार संहिता

2022

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
निर्वाचन भवन, न्यू मार्केट चौक,
रातु रोड, राँची

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'ट' एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की संगत धाराओं के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु यह आदर्श आचार संहिता प्रख्यापित की जा रही है। पंचायत निर्वाचन के दौरान नगरपालिका क्षेत्र में चलायी जाने वाली योजनाएं आदि इस आदर्श आचार संहिता की परिधि से बाहर रहेंगी। सरकार के सभी विभाग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) किसी भी संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

पंचायत निकायों के निर्वाचन की सफलता अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतदाताओं, सरकारी तंत्र तथा सामान्य नागरिकों की अनुशासनात्मक एवं निष्पक्ष प्रवृतियों पर निर्भर करती है। पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर निर्वाचन की पवित्रता प्रभावित होगी। अतः इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, प्रशासनिक तंत्र एवं अन्य कर्मियों के लिए यह आदर्श आचार संहिता प्रख्यापित की है जो सभी के लिए बिना अपवाद के अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी स्तर से इसका उल्लंघन होता है तो वह निर्वाचन अपराध के रुप में माना जायेगा एवं दंडनीय होगा।

ह0/–
राज्य निर्वाचन आयुक्त
झारखण्ड, राँची

आदर्श आचार संहिता

भाग-1

(उम्मीदवारों के लिए)

1. **सामान्य आचरण**

1.1 किसी भी उम्मीदवार या किसी राजनैतिक दल को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

1.2 मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

1.3 पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

1.4 किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

1.5 किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

1.6 प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

1.7 उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध हों, जैसे कि–

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो ;

(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो ;

(iii) किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना ;

(iv) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा ;

(v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना ;

(vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत याचना करना ;

(vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना ;

(viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना ;

(ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना।

1.8 मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

1.9 किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।

परन्तु उक्त भवन, अहाते या दीवार पर चुनाव प्रचार हेतु नारे लिखना, चुनाव चिन्ह पेन्ट करना या पोस्टर चिपकाने का कार्य मकान मालिक की लिखित सहमति लेने बाद भी नहीं किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि निजी भवन पर झण्डा, बैनर आदि लगाने के निमित्त मकान मालिक की सहमति हेतु कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्त्ता या उसका समर्थक किसी प्रकार का दवाब नहीं बनाएगा और न ही डराया या धमकाया जाएगा। यदि इस प्रकार की सूचना मिलती है या मामला संज्ञान में आता है, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध सम्यक् रुप से तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगीय ;

परन्तु यह और भी कि कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार, खम्भे, वृक्ष आदि पर किसी भी प्रकार का झण्डा, बैनर, पोस्टर नहीं लगायेगा एवं चुनाव संबंधी प्रचार–प्रसार, नारे, चिन्ह आदि नहीं लिखेगा। यदि इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

1.10 किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

1.11 मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता या पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

1.12 मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

1.13 मतदान केन्द्र/ मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं को बिना बैज या पहचान पत्र के प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए।

1.14 चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं रहा है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या उसके झण्डे की आड़ में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होना चाहिए और न ही किसी राजनैतिक दल या गैर सरकारी संस्था के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य करना चाहिए।

1.15 सरकारी/ अर्द्धसरकारी परिसदनों, विश्रामगृहों, डाक बंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव कार्य के लिए किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक या कार्यकर्त्ता द्वारा नहीं किया जाएगा।

1.16 किसी भी सरकारी भवन/सरकारी उपक्रम या आयोग के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी या उनके समर्थक या कार्यकर्त्ता द्वारा किसी भी तरह का

पोस्टर या सूचना नहीं चिपकाया जाएगा। किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाएगा और ना ही किसी तरह का बैनर या झण्डा लगाया जाएगा या लटकाया जाएगा।

सभाएं एवं जुलूस

1.17 किसी हाट, बाजार या भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक प्रबंध कर सके।

1.18 प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न–भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास–पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरित दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

1.19 किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक/निषेधात्मक आदेश लागू हों जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए और ससमय यथाआवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

1.20 प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

1.21 किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान/विघ्न उत्पन्न करने/तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा के आयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थिति पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाएं, किसी भी व्यक्ति अपने स्तर से स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

1.22 किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का

स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से आवश्यक अनुमति के अनुसार निर्धारित किया जायगा तथा सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

1.23 उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्ग से ले जायें जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

1.24 जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जाएगी, ताकि पुलिस द्वारा ससमय आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

1.25 जुलूस के आयोजकों द्वारा जुलूस को पार करने हेतु आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो अथवा उसमें कोई विध्न नहीं हो। यदि जुलूस काफी लम्बा हो तो उसे टुकड़ों में आयोजित करेंगे, ताकि सुविधाजनक कालान्तर में सड़क/चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो।

1.26 जुलूस को सड़क के यथासंभव दाहिना रखा जाय तथा कर्त्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन किया जाये।

1.27 यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्यवय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये अथवा यातायात बाधित नहीं हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

मतदान के दिन : सभी उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा

1.28 चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शन्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रुप से बिना किसी व्यवधान के करने में अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्त्ताओं एवं समर्थकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जायगा।

1.29 प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले/बैज या पहचान पत्र दिया जायेगा।

1.30 मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए और

उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

1.31 मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान के अगले दिन सुबह 7: 00 बजे तक न तो शराब/कोई मादक द्रव्य खरीदी जाएगी और न ही इसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा।

1.32 मतदान केन्द्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी, ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव अथवा झगड़ा को टाला जा सके।

1.33 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्याशी का शिविर साधारण हो। किसी प्रकार के पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया गया हो। शिविर में किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था नहीं की जायगी या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी।

1.34 मतदान की तिथि को वाहन परिचालन पर लगाये गये प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जायगा तथा मतदान की तिथि को वाहन परिचालन हेतु सक्षम पदाधिकारी से पूर्व से ही परमिट प्राप्त कर संबंधित वाहन पर सुगोचर स्थान पर चिपकाया जायगा।

1.35 मतदान प्रकोष्ठ में मतदाताओं के अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)/निर्वाची पदाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग के वैध प्रवेश पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

1.36 सरकार सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या सरकार से अनुदान अथवा सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्री अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रीगण, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

भाग-2

(सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए)

2.1 निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो [जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना (स्कीम) या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना]।

2.2 पंचायत निर्वाचन के प्रत्यक्ष संचालन से संबंधित अधिकारियों, यथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी आदि का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में या प्रशासनिक कारणों से उक्त पदाधिकारियों का स्थानान्तरण आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। निर्वाचन की घोषणा होने के बाद उक्त अधिकारियों के रिक्त पदों पर भी पदस्थापन में राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों की प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर भी आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन कर्मियों की सेवाएं निर्वाचन कार्य हेतु कभी भी तथा किसी भी स्तर पर ली जा सकती है।

2.3 सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे है। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सरकारी सेवा संहिता एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाय।

2.4 चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

2.5 किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन–पत्र दिया है।

2.6 विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में सरकारी आवास सुविधा का उपयोग सभी उम्मीदवारों को एक समान शर्तों पर करने दी जाएगी, परन्तु उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

2.7 साधारणतः चुनाव के समय जो भी आमसभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्हें ऐसी सभा का आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।

2.8 पंचायत निर्वाचन के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग किया है और विशेष रुप से वे सरकारी वायुयान, वाहन तंत्र एवं मशीनों सहित सरकारी परिवहन और कर्मचारियों का उपयोग अपने हित साधन के लिए किया है।

2.9 मंत्रिगण सरकारी दौरों के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से चुनाव प्रचार अभियान कार्य के साथ मिश्रित नहीं करेंगे तथा सरकारी तंत्र या कार्मिकों का उपयोग चुनाव प्रचार अभियान में नहीं करेंगे।

2.10 समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में राजकोष की लागत पर विज्ञापन निर्गत करने और निर्वाचन अवधि के दौरान सरकार की उपलब्धियों या किसी योजना विशेष के संबंध में राजनीतिक समाचारों और प्रचार के समर्थक विवरण के लिए सरकारी जन माध्यमों के दुरुपयोग का सावधानी पूर्वक परिहार करना होगा।

2.11 निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विवेकाधीन निधि से मंत्रिगण और अधिकारी अनुदान/भुगतान की स्वीकृति नहीं देंगे।

2.12 निर्वाचन की घोषणा किए जाने के समय से मंत्रीगण और अन्य अधिकारी उन पंचायत क्षेत्रों में जहाँ निर्वाचन सम्पन्न कराये जा रहे हैं, में :–

(क) किसी भी रुप में किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा अथवा उसके लिए आश्वासन नहीं देंगे,

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास आदि नहीं करेंगे,

(ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं, आदि की व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं देंगे,

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई ऐसी तदर्थ नियुक्ति, जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतों को प्रभावित करे, नहीं करेंगे,

(ङ) किसी प्रत्याशी या मतदाता के रुप में अपनी हैसियत के सिवाय केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रीगण किसी मतदान केन्द्र या मतगणना–स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे,

(च) निर्वाचन सभाओं का आयोजन करने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान आदि और निर्वाचन के संबंध में उड़ानों के लिए हैलीपैड के उपयोग को अपने एकाधिकार में नहीं रखेंगें सभी प्रत्याशियों को उक्त स्थानों और सुविधाओं के उपयोग की अनुमति समान शर्त्तों पर दी जाएगी,

(छ) विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर केवल सत्तारुढ़ दल द्वारा समर्थित प्रत्याशियों का एकाधिकार नहीं होगा; सभी प्रत्याशियों को निष्पक्ष ढंग से तथा उपलब्धता के आधार पर उक्त आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

2.13 निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक संसद सदस्यों या विधान मंडल सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहाँ कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

2.14 सरकार सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, पंचायत निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या सरकार से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्री अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण,

संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, पंचायत के पदधारकों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

2.15 निर्वाचन के दौरान चुनाव कार्य अथवा चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

2.16 केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर भुगतान के आधार पर भी, पूर्ण प्रतिबंध रहेगां परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी परिस्थिति में सरकारी कार्यों के साथ चुनाव कार्य जोड़ा नहीं जाएगा।

2.17 ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन के माध्यम से करते हों, तो पूरे दौरा को चुनाव कार्य हेतु सम्पन्न किया गया माना जाएगा। अर्थात् किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

2.18 सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को तबतक अवकाश स्वीकृत नहीं करें जबतक ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न ना हो। अवकाश देने के पूर्व जिला स्तर के पदाधिकारियों के लिए उपायुक्त की अनुशंसा एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए आयोग की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2.19 जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त के जिला क्षेत्र में कार्यरत सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन अवधि में उनके नियंत्रण में रहेंगे।

2.20 निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् राज्य सरकार के सभी विभाग/निकाय/संस्थान में कर्मचारी/पदाधिकारी की नियुक्ति पर प्रतिबंध रहेगा। अपवाद स्वरुप माननीय उच्च न्यायालय एवं विधान सभा सचिवालय में वर्ग 3 एवं 4 के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा।

2.21 माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों

पर आयोग का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

2.22 सेवानिवृत व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु यदि वे सेवारत हैं तो उनके अवधि विस्तार पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

2.23 सरकारी वकील, लोक अभियोजक, मंत्री/राज्य मंत्री के निजी कर्मी की नियुक्ति पर रोक नहीं होगी।

2.24 यदि किसी प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व से जारी है तो उसकी प्रवेश परीक्षा एवं अन्तर्विक्षा की कार्रवाई जारी रखी जा सकती है लेकिन नियुक्ति का फलाफल निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् ही घोषित किया जाएगा।

2.25 आदर्श आचार संहिता लागू रहते हुए भी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

2.26 माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रोन्नति देने तथा अन्य नियमित प्रोन्नति जैसे कालबद्ध प्रोन्नति आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

2.27 निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद पंचायत क्षेत्रों में शराब दुकान की निलामी पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक रोक रहेगी।

2.28 वन विभाग के उत्पाद की निलामी, खनन विभाग के नये खदानों को लीज पर देने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। विशेष परिस्थिति में आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।

2.29 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निम्न प्रकार की निविदाओं पर रोक नहीं रहेगी–

(क) भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम द्वारा अनाज की ढुलाई, हथालन से संबंधित निविदा

(ख) पुलों पर शुल्क वसुलने हेतु निविदा

(ग) जेल/अस्पतालों आदि के लिए खाद्य आपूर्ति, दवा आपूर्ति एवं अन्य औजार आपूर्ति हेतु निविदा

(घ) पुलिस, चौकीदार, दफादार आदि के लिए वर्दी एवं अन्य सामाग्री हेतु निविदा

(ङ) कार्यालय के लिए लेखन सामाग्री एवं अन्य सामाग्री हेतु निविदा

(च) मतपत्र एवं अन्य प्रपत्रों की छपाई तथा आपूर्ति हेतु निविदा

(छ) बाजार, बस पड़ाव, तालाब, बागीचा, घाट, मेला, पशु मेला एवं अन्य सैरातों की बन्दोबस्ती

(ज) शहरी विकास योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी।

2.30 इसके अतिरिक्त जनहित में निम्नांकित योजनाओं पर निर्वाचन प्रक्रिया दौरान भी कार्य कराया जा सकता है –

(क) मतदानकर्मी एवं सुरक्षा बलों के आवागमन हेतु सड़कों की मरम्मती

(ख) सरकारी विद्यालय या अन्य सरकारी भवन की अपरिहार्य मरम्मती

(ग) बाढ़ से बचाव के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा कोई आपात कार्य

(घ) सभी विभागों द्वारा आपात कार्य

(ङ) पेयजल से संबंधित योजनाएं

2.31 राज्य सरकार अगर कुछ क्षेत्रों को या पूरे क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करती है तो उस क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत सहाय्य कार्य से संबंधित नियम लागू रहेगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए किए गये निम्नांकित उपायों पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं होगा –

(क) पेयजल कूप का निर्माण

(ख) डगवेल और बोरवेल का निर्माण

(ग) निर्धारित दर पर खाद्यान्न एवं पशु चारा की आपूर्ति

(घ) रोजगार सृजन हेतु मजदूरी पर किया गया व्यय

(ङ) इंटिग्रेटेड वाटर से किए गए प्रोग्राम

2.32 राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले निम्नांकित कल्याण योजनाएं आदर्श आचार संहिता के परिधि से बाहर रहेंगे–

(क) विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों का वितरण

(ख) पूर्व से स्वीकृत सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था पेंशन

(ग) छात्रों के बीच छात्रवृति, पुस्तक, पोशाक, साईकिल आदि का वितरण

(घ) छात्रावासों के लिए खाद्य–सामग्री एवं अन्य उपस्कर की आपूर्ति आदि

(ङ) सर्दी या ठंड से बचाने के लिए कम्बल का क्रय या वितरण।

भाग-3

(पंचायत क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु)

3.1 ऐसी सभी योजनाएं, जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिन पर कार्य प्रगति में है, का कार्यान्वयन होता रहेगा।

3.2 इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएँ जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरु हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है, उन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।

3.3 केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.4 ऐसी केन्द्रीय योजनाएँ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से प्राप्त होती है, और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है उन पर भी कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.5 राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.6 इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.7 राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.8 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.9 मनरेगा के अन्तर्गत निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (Earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में लेबर की माँग है। जबतक चालू योजनाओं में कार्य दिया जा सकता है तबतक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरम्भ नहीं की जा सकेगी। shelf of projects की अनुपलब्धता अथवा इसमें उपलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकार/उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से नई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

3.10 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.11 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं का कार्यान्वयन (पंचायत क्षेत्रों को

छोड़कर) प्रारम्भ किया जा सकता है।

3.12 आपात योजनाएँ यथा बाढ़ निरोधक योजनाओं, सूखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.13 सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत ऐसी योजनाएं जिनका कार्यान्वयन चल रहा हो, पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.14 सरकारी कार्यालयों की आधुनिकीकरण (जिसमें कम्प्युटर तथा अन्य मॉडर्न गजट (Gadget) आदि चालू करना शामिल है) आदि पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

3.15 नई विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर पाबन्दी रहेगी।

3.16 पूर्व से स्वीकृत एवं क्रियान्वित हो रही योजनाओं को छोड़कर, ऐसी स्थानीय योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन पंचायत द्वारा किया जाता है, और जो उपर्युक्त की कंडिकाओं में शामिल नहीं हैं, उन पर पाबन्दी रहेगी।

3.17 किसी भी परिस्थिति में किसी चालू योजना का प्रारम्भ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा। चालू योजना का कार्यान्वयन संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रुप से किया जाएगा।

3.18 सरकार द्वारा उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जाती है तो उसका संसूचना प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

3.19 राज्य में विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति को दर्शाते हुए किसी प्रकार का इश्तेहार या विज्ञापनों का प्रसारण समाचार पत्रों या रेडियो/टेलिविजन आदि के माध्यम से नहीं किया जायेगा।

3.20 निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होते ही पंचायत के प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्त्तमान वार्ड सदस्यों, मुखिया/उप मुखिया, प्रमुख/उप प्रमुख एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा अपने निर्वाचन की संभावना को लाभ पहुँचाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नई पंचायत के गठित होने तक पंचायत की किसी बैठक में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कोई प्रस्ताव न तो पेश किए जाएं और न ही पारित किए जाएं। साथ ही नए व्यय की कोई स्वीकृति नहीं दी जाएं अगर कोई पंचायत आयोग के निदेशों के विपरीत आचरण करें, तो इसे कदाचार माना जाएगा एवं सभी संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

भाग-4

(पंचायत के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए)

नोटः– इस भाग में पंचायत से अभिप्राय, यथास्थिति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद से है।

4.1 पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद नहीं कर रहे हैं।

4.2 निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तकः–

(1) पंचायतों के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए,

(2) पंचायतों की निधि से किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए,

(3) पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी;

(4) पंचायतों की निधि से किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी। वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे कि किसी सड़क को चौड़ा करना या पक्का करना या उसमें खडंजे बिछाना; नालियों को पक्का करना; नल जल योजना का विस्तार करना; नये हैंडपंप लगाना या नयी स्ट्रीट लाइट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाएगा। पहले से स्वीकृत किसी स्थानीय योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

(5) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

(6) पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैंपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो।

4.3 किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि वार्ड सदस्य/मुखिया/उप मुखिया/प्रमुख/उप प्रमुख अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

भाग-5

(दण्ड का प्रावधान)

5.1 आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं भारतीय दण्ड संहिता के विविध धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

5.2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) –सह– उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थाने के भारसाधक पदाधिकारी से अन्यून अधिकारी आदर्श आचार संहिता के उलंघन के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में (राज्य निर्वाचन आयोग को संसूचित करते हुए) अभियोजन दायर करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

5.3 यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके चुनाव से संबंधित कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं भारतीय दण्ड संहिता के विविध धाराओं के अंतर्गत बिना किसी विलम्ब के संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करनी चाहिए तथा इसकी सूचना आयोग को अवश्य प्रेषित की जानी चाहिए।

5.4 झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता में निर्वाचनों के संबंध में अपराधों का उल्लेख है, जिसकी सूची, यद्यपि विस्तृत नहीं है, नीचे अंकित की जा रही हैं यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने निर्वाचन के संबंध में कोई अपराध किया है तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित हो सकता है तथा कानून के प्रावधानों के तहत उसे सजा भी हो सकती है।

क्र. म.	निर्वाचन अपराधों की प्रकृति	दण्ड
1	निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना	तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
2	मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के पूर्व के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभा करने पर प्रतिबंध	उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारवास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
3	निर्वाचन सभा में बाधा उत्पन्न करना	छः माह तक के कारावास या दो हजार रुपये जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
4	पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रशासक के नाम और पता बिना अंकित किये मुद्रण पर प्रतिबंध	उल्लंघन करने पर छः माह तक के कारावास या दो हजार रुपये जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
5	मतदान की गोपनीयता बनाए रखना	उल्लंघन करने पर तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
6	निर्वाचनों में अधिकारी आदि द्वारा अभ्यर्थियों के लिए कार्य किया जाना या मतदान प्रभावित किया जाना	छः माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
7	मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार करना	पाँच सौ रुपये तक जुर्माना
8	मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण करना	तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
9	मतदान केन्द्र पर गलत आचरण	तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
10	मतदाता द्वारा मतदान की प्रक्रिया पालन करने से इन्कार	मतदान की अनुमति नहीं
11	निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रुप से किराये पर लेने या उपयोग करने के लिए शास्ति	तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।

12	निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्त्तव्य का भंग होना	पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है।
13	निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता के रुप में सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जाना	तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
14	मतदान केन्द्र में या उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाना	दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
15	मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना	एक वर्ष तक के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
16	मतदान केन्द्र पर कब्जा करना (क) जन साधारण के लिए (ख) सरकारी कर्मी के लिए	एक वर्ष से पाँच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
17	अन्य अपराध	उक्त क्रम संख्या 1–16 से भिन्न विभिन्न निर्वाचन अपराधों का वर्णन एवं उसके लिए दण्ड का प्रावधान अधिनियम के संगत धाराओं में किया गया है।

1- भारतीय दण्ड संहिता में भी निर्वाचन से जुड़े अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है –

1	रिश्वत / प्रलोभन – (I.P.C. की धारा 171 बी0)	भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ई0 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव कार्य में किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए किसी तरह का प्रलोभन या रिश्वत देता है, तो उसे एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।
2	डराना, धमकाना / अनुचित ढ़ंग से प्रभावित करना (I.P.C. की धारा 171 सी0)	भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एफ0 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी को धमकी देता है या अन्य तरह से उसे गलत ढ़ंग से प्रभावित करता है, तो एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।

3	प्रतिरुपण (Personation)– (I.P.C. की धारा 171 डी0)	अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बदले (Personation) मतदान करता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171एफ0 के तहत उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया जायेगा एवं उसे भी एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।
4	चुनाव से संबंधित मिथ्या कथन– (I.P.C. की धारा 171 जी0)	चुनाव से संबंधित गलत बयानबाजी दंडनीय है।
5	चुनाव से संबंधित अवैध भुगतान– (I.P.C. की धारा 171 एच0)	किसी प्रत्याशी के बिना लिखित प्राधिकार के अगर कोई व्यक्ति उसके पक्ष में आम सभा करता है या किसी विज्ञापन या प्रचार में खर्च करता है, तो यह दण्डनीय है।
6	चुनाव खर्च संधारण में विफलता– (I.P.C. की धारा 171 आई0)	चुनाव खर्च का संधारण नहीं किया जाना दंडनीय है।

2- भ्रष्ट आचरण : झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के खण्ड (i) तथा खण्ड (ii) के तहत भ्रष्ट आचरण :–

1	रिश्वत/ प्रलोभन।
2	अनुचित प्रभाव/ डराना/ धमकाना।
3	धर्म/ जाति/ प्रजाति/ समुदाय/ भाषा/ राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर मतदान करने या नहीं करने की अपील।
4	धर्म/ जाति/ प्रजाति/ समुदाय/ भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता भड़काना।
5	किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र के संबंध में झूठी जानकारी प्रकाशित करना।
6	मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लाने, ले जाने हेतु वाहनों का अनाधिकृत प्रयोग।
7	चुनाव खर्च संधारण में विफलता।
8	चुनाव में विशिष्ट श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करना।
9	मतदान केन्द्र पर कब्जा करना।

नोट :– उपर्युक्त सूची मात्र उदाहरणात्मक है, विस्तृत तथा अन्तिम नहीं हैं

अभ्यर्थियों/ प्रत्याशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु ''क्या करें'' ''क्या न करें''

क्या करें -

1- चल रहे कार्यक्रम जारी रख सकेंगे।

2- अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन/अनुमोदन प्राप्त करें।

3- बाढ, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाएं और जारी रखे जायें।

4- गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय या नगद सुविधाऐं उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं।

5- निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होने चाहिए।

6- विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध होने चाहिये।

7- अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियाँ, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिये।

8- प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और निर्विध्न परिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।

9- प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।

10- यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।

11- प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये अनुमति अवश्य ली जाय।

12- बैठक में गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय।

13- किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुज्ञा/अनुमति ले लेनी चाहिये।

14- जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहाँ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जायं साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।

15- जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।

16- शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।

17- कार्यकर्त्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित किए जाने चाहिये।

18- मतदाताओं की जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए, जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए।

19- मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाय।

20- राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो (मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक आदि) इस मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेगा।

21- निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों/रिटर्निंग आफिसर/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी में लायी जाय।

22- निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जायेगा।

क्या ना करें -

1. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों में नहीं किया जायेगा। सरकारी वाहनों में (क) ट्रक (ख) लारी (ग) टैम्पो (घ) जीप (ङ) कार (च) ऑटो रिक्शा, ई0 रिक्शा (छ) बसें (ज) वायुयान (झ) हेलीकाप्टर (ञ) पानी के जहाज (ट) नावें (ठ) जलस्पर्शी जहाज और निम्नलिखित से संबंध रखने वाले अन्य सभी वाहन शामिल हैं :–

   (i) केन्द्र सरकार

   (ii) राज्य सरकार

   (iii) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम

   (iv) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम

   (v) पंचायत निकाय

   (vi) नगरपालिका (यथा, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत)

   (vii) विपणन बोर्ड (चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाय)

   (viii) स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा

   (ix) कोई अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि का एक भाग चाहे कितना भी क्यो न हो, निवेश किया गया हो।

2. सतारूढ दल/सरकार की उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक कोष के व्यय पर कोई विज्ञापन जारी न करें।

3. किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना आदि न करें।

4. सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्तियाँ न करें।

5. कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, जबतक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो।

6. सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार/चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जायेगा।

7. वित्तीय अथवा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।

8. निर्वाचकों के जातीय/साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।

9. ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।

10. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकत्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर, जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।

11. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे या उनके कार्यकत्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।

12. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्धारों या पूजा का कोई भी स्थान, भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जाय।

13. कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियों यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास; प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार, मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।

15. व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यों के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का कार्य न करें।

16. किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी/सरकार के उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा/बैनर लगाने, पोस्टर/नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।

17. उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभायें आयोजित की जा रही हो, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकाले।

18. जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

19. दूसरे प्रत्याशियों द्वारा जारी पोस्टर, बैनर/होर्डिंग आदि को हटाया या विरूपित नही किया जाय।

20. मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रों के निकट, झण्डों, प्रतीकों या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाय।

21. स्थायी भवनों अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह 6:00 बजे से पहले या रात को 10:00 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के नहीं किया जाय। साथ ही ध्वनि के संबंध में अनुमति प्राप्त डेसिबल का ध्यान रखा जाएगा एवं जितनी संख्या में साउण्ड बक्सों तथा चोंगों की अनुमति प्राप्त की गई है, उससे अधिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

22. संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना लाउडस्पीकरों का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं/जुलूसों की अनुमति रात 10:00 बजे बाद नहीं दी जायेगी और यह पुनः स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय अवबोधनों और अन्य संबंधित बातों जैसे मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा समय आदि के अध्यधीन होगा।

23- निर्वाचनों के दौरान शराब नहीं बांटी जानी चाहिये।

टिप्पणीः– उपर्युक्त सूची मात्र उदाहरणात्मक है, विस्तृत तथा अंतिम नहीं है तथा उपर्युक्त विषय पर निर्गत किसी अन्य विस्तृत आदेशों/निदेशों/अनुदेशों को प्रतिस्थापित करने के निमित्त नहीं है।

ह0/–
राज्य निर्वाचन आयुक्त
झारखण्ड, राँची